

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)


अज अदालत नियम 152 CR
 दुर्गादेव व बनाम शिवधाम हरकाल
 किस्म मुकदमा 88 नं. 10/ सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

19/6/18

वादी श्री दुर्गादेव पुत्र जसवंत विदे द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते खोला गया नं. मुकदमा सं. 101/2017 इन्तर्गत शपथपत्र वास्ते जारी होप्य निम्न की पत्र 88 निर्दिष्ट 20/6/18 द्वारा पीठालीन सहायक कलेक्टर लखनौ बालोतरा अन्वय कोर्ट, लोखरानडी हुकम पत्र विना। जिसे पत्र नं निर्दिष्ट में कोर्टल खसरा नं 2245, 2246, 2247 के स्थान पर आप जामतगाल के खाला सं. 35 में फुकलत का 2445, 2446, 2447 किमा जमा।

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

तदनुसारेण पत्रपत्रा को कोर्टाल विना जाता है। कि मुकदमा सं. 101/2017 निर्दिष्ट

दिनांक 20.6.18 में आवेदन *(मनोरथ राम)*
 अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
 एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 लखनौ कैम्प-610021/18

संबोधन मानते हुए सरहदमौजा
 सागरानाडी के स्थान पर जामलमरा
 क वसरा खेला 2445, 2446,
 2447 में जगुनकिंद पुत्र
 जसवंत सिंह के स्थान पर
 पुनकिंद पुत्र जसवंत सिंह
 का रामलख शिवाड में डामलमरा
 करे।

निर्णय सागरानाडी कोपके
 कर कर्म सागरानाडी में
 कुले जामलमरा में सुगापु।
 रामो पुजवली पुल कोपके
 सलगन है।

19/6/18
 (मागीरथ रामी)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
 सप्लान्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 बालोतरा कैम्प. (17/01/15)

अहकार
को तामील

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोताशा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट) साज (नाडी)
संशोधित डिक्री

पीठासीन अधिकारी :- श्री बागीरथराम R.A.S.

उनवान

दुर्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार

श्री बाबत संशोधित डिक्री आदेश

कदमा नम्बर :- 101/2017

नेर्मच दिनांक :- संशोधित निर्णय सिंगे 1 - 19-06-2018

वादी की ओर से दुर्जन सिंह की व प्रतिवादी की ओर से नसीमदास पंचपखी
परिस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.6.2018 को श्री बागीरथराम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, बालोताशा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

मु. नं. 101/2017 अंतर्गत राज सा-घात 89 निर्दिष्ट संशोधित
निर्णय सिंगे 19/6/2018 राजस्थ लोक अदालत कैंप साज (नाडी)
अनुसार मौजा जामतनगर के खेत ख. नं. 2245, 2246, 2247
के स्थान पर ख. मौजा जामतनगर के खेत सं. 35 में खेत
सुद्ध खसरा नं. 2245, 2246, 2247 जर्ज का वादी का नाम अर्जुन सिंह
पुत्र जामतनगर सिंह के स्थान पर दुर्जन सिंह पुत्र जम्बू जामतनगर सिंह जर्ज कर्न
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। हेतु अधि दारी नसीमदास पंचपखी की आदेशाधि
यह आज तारीख 19/6/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(8)
पीठासीन अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैंप-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोताशा कैंप, कलक्टर